न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 166/2014

वादीगण :-

बनाम

1. सम्पतसिंह पुत्र नाहरसिंह
2. सुगनकंवर बेवा रुघनाथसिंह
3. स्वरुपसिंह पुत्र रुघनाथसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रुघनाथसिंह
5. हरीसिंह पुत्र छतरसिंह

जातियान-राजपूत, निवासी-गरनिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

प्रतिवादीगण :-

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
   जातियान-राजपूत,निवासी-गरनिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं भूमि तरमीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23.07.2014

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 21/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं भूमि तरमीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गरनिया, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 254 रकबा 120-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 12 रकबा 140-00 बीघा किस्म चा0ही0, खसरा नम्बर 7 रकबा 9-14 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 270-00 बीघा की आई हुई हैं। जिसके वादीगण 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकारा हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस आराजी की वाद पत्र के पेश किया हैं। इस आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण की इस वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण सम्पतसिंह एवं उनके भाई भारतसिंह व छतरसिंह के बीच आपसी सहमति से दिनांक 27/05/1978 को बंटवाड़ा हो गया था। नकल बंटवाड़ा इस वाद पत्र के साथ पेश किया हैं। माफिक बंटवाड़ा के अनुसार सम्पूर्ण जमीन के कुल 09 हिस्से किए हुए थे। रास्ते की जमीन शामलाती रखी हुई थी। साथ ही धोरे की जमीन भी शामलाती रखी गई। बेरे की जमीन बेरा बिचली के बाहर के जाव के कुल 6 हिस्से किये गये थे। उन पर भी एक से तीन के नम्बर लगाए गए व आपसी रजामन्दी से बंटवाड़ा किया गया था। इस आशय का बंटवाड़ा तीनों भाईयों में आपसी सहमति से करने के उपरान्त नजरी नक्शे मे दर्शित अनुसार क्रम संख्या एक में वर्णित जमीन भारतसिंह के हिस्से में रखी क्रम संख्या दो में वर्णित जमीन सम्पतसिंह के हिस्से में रखी व क्रम संख्या तीन में वर्णित जमीन छतरसिंह के हिस्से में रखी गई थी। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भी तीनों भाईयों ने बंटवाड़ा दर्ज करवा दिया था। इसके बाबत् नामान्तरकरण संख्या 238 पटवार हल्का-गरनिया व तहसीलदार, जैतारण के आदेश दिनांक 14/07/1980 के अनुसार खोला गया था। जिसमें भारतसिंह वादीगण सम्पतसिंह के सबसे बड़े भाई थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। राजेन्द्रसिंह के दो पुत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हैं। इस प्रकार भारतसिंह व उनके वारिसान के हिस्से में खसरा नम्बर 254 रकबा 40-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 12 रकबा 46-13 बीघा व खसरा नम्बर 07 रकबा 3-05 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 89-18 बीघा की जमीन रखी गई हैं व इसी माफिक उनका मौके पर कब्जा काश्त, हक व अधिकार भी हैं। वादीगण संख्या 1 सम्पतसिह के बड़े भाई छतरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का स्वर्गवास भी हो चुका हैं। उनके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 2 से 5 हैं, वादीगण संख्या 2 से 5 व उनके पूर्व छतरसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 254/1 रकबा 40-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 12/1 रकबा 46-13 बीघा व खसरा नम्बर 7/1 रकबा 3-05 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 89-18 बीघा की जमीन रखी गई हैं। छतरसिंह के दो जायन्दा पुत्र रघुनाथसिंह व हरीसिंह थे, जिनमें से रघुनाथसिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं। रघुनाथसिंह के विधिक वारिसान वादीगण संख्या 2 से 4 हैं। खसरा नम्बर 254/1 रकबा 40 बीघा किस्म बा0अ0, खसरा नम्बर 12/1 रकबा 46-13 बीघा व खसरा नम्बर 7/1 रकबा 3-05 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 89-18 बीघा की जमीन में वादीगण संख्या 2 से 4 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकारी व वादीगण संख्या 5 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी माफिक वादीगण अपने हक हिस्से की आरजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार वादीगण संख्या 1 सम्पतसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 254/2 रकबा 40-00 बीघा, खसरा नम्बर 12/2 रकबा 46-14 बीघा व खसरा नम्बर 7/3 रकबा 3-04 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 89-18 बीघा की जमीन रखी गई। इसी माफिक सभी हिस्सेदारों का मौके पर कब्जा, हक व अधिकार भी हैं एवं आराजी का राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा हो रखा हैं। केवल वादीगण संख्या दो से पांच के हक हिस्से की आराजी का बंटवाड़ा किया जाना शेष हैं। नामान्तरकरण संख्या 238 के जरिये बंटवाड़ा किया गया था। लेकिन इस नामान्तरकरण के माफिक नक्शा ट्रेस में तरमीम आराजी का तत्कालीन पटवारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया था। जिससे वादीगण व सभी खातेदारों को भारी पेरशानी हो रही हैं। वादीगण सभी आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा के माफिक हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अपनी आराजी तरमीम भी करवाना चाह रहे हैं व छतरसिंह के विधिक संख्या 5 अपने 1/2 हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाना चाह रहा हैं। लेकिन भूमि पहले से ही तरमीम नहीं होने की वजह से उक्त बंटवाड़ा व तरमीम की कार्यवाही नहीं हो रही हैं। इसलिए यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा आराजी का आप श्रीमान् के समक्ष बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि के माफिक बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नक्शा तरमीम कराने हेतु खातेदारों ने प्रशासन गांव के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के समक्ष दिनांक 25/03/2013 व 02/04/2013 को लिखित प्रार्थना पत्र भी पेश किये थे। लेकिन इस बाबत् कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा तहसील कार्यालय द्वारा वादीगण को वाद पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये, जिस पर यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा व नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम हेतु आप श्रीमान् के समक्ष सादर पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 02/04/2013 व उसके बाद दिनांक 30/06/2014 को हल्का पटवारी द्वारा बंटवाड़ा व तरमीम हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने का निर्देश देने व अपने द्वारा कार्यवाही करने से ईन्कार कर देने पर बमुकाम-गरनिया, तहसील-जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - गरनिया में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-गरनिया, तहसील-जैतारण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

(जिला–पाली) में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 254 रकबा 120–00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 12 रकबा 140–00 बीघा किस्म चा0ही0, खसरा नम्बर 7 रकबा 9–14 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–3 कुल रकबा 270–00 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 21/05/2015 को ही पेश किया, शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गरनिया, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 254 रकबा 120–00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 12 रकबा 140–00 बीघा किस्म चा0ही0, खसरा नम्बर 7 रकबा 9–14 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–3 कुल रकबा 270–00 बीघा का निम्नांकित रुप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुगनकंवर पत्नि रुगनाथसिंह, स्वरूपसिंह श्रवणसिंह पि0 रुगनाथसिंह, हरीसिंह पुत्र छतरसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन–पूरा खाता SBBJ शाखा–जैतारण	7 12 12/5 12/8 12/12 254/2 254/5	3-05-00 12-00-00 8-00-00 4-00-00 20-00-00 19-00-00 19-00-00	बा0अ0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 बा0दो0 बा0दो0	2.02 रू0 154.00 रू0 11.78 रू0
	योग	7	85-05-00		167.80 रू0
2	सम्पतसिंह पुत्र नारसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन–SBBJ शाखा–जैतारण	7/1 12/1 12/3 12/4 12/9 12/11 254/1 254/3	3-04-00 8-00-00 4-00-00 8-01-00 4-00-00 20-00-00 19-00-00 19-00-00	बा0अ0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 बा0दो0 बा0दो0	1.98 रू0 154.17 रू0 11.78 रू0
	योग	8	85-05-00		167.93 रू0
3	नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पि0 राजेन्द्रसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन–SBBJ शाखा–जैतारण	7/2 12/2 12/6 12/7 12/10 254 254/4	3-05-00 8-00-00 12-00-00 2-00-00 20-00-00 19-00-00 19-00-00	बा0अ0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 चा0दो0 बा0दो0 बा0दो0	2.01 रू0 150.50 रू0 11.78 रू0
	योग	7	84-05-00		164.29 रू0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

4	सुगनकंवर पत्नि रूगनाथसिंह, स्वरूपसिंह श्रवणसिंह पि० रूगनाथसिंह, हरीसिंह पुत्र छत्तरसिंह 1/3 हि०, सम्पतसिंह पुत्र नरसिंह 1/3 हि०, नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पि० राजेन्द्रसिंह 1/3 हि० कौम–राजपूत सा० देह खातेदार।	12/14 254/6	7-18-00 6-00-00	चा०दो० बा०दो०	(रास्ता व शामलाती प्रयोजनार्थ)
	योग	**2**	**13-18-00**		
5	विकास विभाग पंचायत समिति, जैतारण जरिये ग्राम पंचायत गरनिया	12/13	1-00-00	चा०दो०	3.50 रू०

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 21/05/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र–गरनिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

वादीगण :-

1. सम्पतसिंह पुत्र नाहरसिंह
2. सुगनकंवर बेवा रूघनाथसिंह
3. स्वरूपसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
5. हरीसिंह पुत्र छतरसिंह

जातियान-राजपूत, निवासी-गरनिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
जातियान-राजपूत,निवासी-गरनिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं भूमि तरमीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 166/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी . श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गरनिया, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 254 रकबा 120-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 12 रकबा 140-00 बीघा किस्म चा0ही0, खसरा नम्बर 7 रकबा 9-14 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 270-00 बीघा का निम्नांकित रूप से बंट्वाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सुगनकंवर पत्नि रूगनाथसिंह, स्वरूपसिंह श्रवणसिंह पि0 रूगनाथसिंह, हरीसिंह पुत्र छतरसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन-पूरा खाता SBBJ शाखा-जैतारण	7	3-05-00	बा0अ0	2.02 रू0
		12	12-00-00	चा0दो0	154.00 रू0
		12/5	8-00-00	चा0दो0	
		12/8	4-00-00	चा0दो0	
		12/12	20-00-00	चा0दो0	11.78 रू0
		254/2	19-00-00	बा0दो0	
		254/5	19-00-00	बा0दो0	
	योग	7	85-05-00		167.80 रू0
2	सम्पतसिंह पुत्र नारसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन-SBBJ शाखा-जैतारण	7/1	3-04-00	बा0अ0	1.98 रू0
		12/1	8-00-00	चा0दो0	154.17 रू0
		12/3	4-00-00	चा0दो0	
		12/4	8-01-00	चा0दो0	
		12/9	4-00-00	चा0दो0	
		12/11	20-00-00	चा0दो0	11.78 रू0
		254/1	19-00-00	बा0दो0	
		254/3	19-00-00	बा0दो0	
	योग	8	85-05-00		167.93 रू0
3	नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पि0 राजेन्द्रसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन-SBBJ शाखा-जैतारण	7/2	3-05-00	बा0अ0	2.01 रू0
		12/2	8-00-00	चा0दो0	150.50 रू0
		12/6	12-00-00	चा0दो0	
		12/7	2-00-00	चा0दो0	
		12/10	20-00-00	चा0दो0	11.78 रू0
		254	19-00-00	बा0दो0	
		254/4	19-00-00	बा0दो0	
	योग	7	84-05-00		164.29 रू0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

4	सुगनकंवर पत्नि रुगनाथसिंह, स्वरूपसिंह श्रवणसिंह पि0 रुगनाथसिंह, हरीसिंह पुत्र छत्तरसिंह 1/3 हि0, सम्पतसिंह पुत्र नरसिंह 1/3 हि0, नरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पि0 राजेन्द्रसिंह 1/3 हि0 कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	12/14 254/6	7-18-00 6-00-00	चा0दो0 बा0दो0	(रास्ता व शामलाती प्रयोजनार्थ)
	योग	2	13-18-00		
5	विकास विभाग पंचायत समिति, जैतारण जरिये ग्राम पंचायत गरनिया	12/13	1-00-00	चा0दो0	3.50 रू0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner